बचत को निवेश करते समय ध्यान रखने हेतु सामान्य निवेश दिशा–निर्देश

क्या करें क्या नहीं करें

अनधिकृत जमा–स्वीकृतियों से सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिये कृप्या **www.sachet.rbi.org.in** पर 'सचेत' पोर्टल देखें।

प्रकाशक :
भारतीय रिज़र्व बैंक,नई दिल्ली
राज्य स्तरीय समन्वय समिति

दिल्ली एवम हरियाणा
के सौजन्य से

सामान्य निवेश दिशा–निर्देश: क्या करें और क्या नहीं करें ।

1. निवेश करने से पहले स्पष्ट और उचित निवेश लक्ष्यों को निश्चित करें।
2. याद रखें किसी भी निवेश में जोखिम है। संभावित लाभ के साथ जोखिम भी बढ़ता है ।
3. अपने जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता रखें।
4. डेट(Debt), इक्विटी और नकद के उचित मिश्रण का चयन करें ।
5. अपने ज्ञान की सीमा के अनुसार निवेश करें ।
6. अपने निवेश पर विचार करें तथा जानें कि निवेश का आपके पोर्टफोलियो के संभावित रिटर्न, जोखिम आदि पर क्या प्रभाव होगा ।
7. ध्यान रखें कि निवेश के रिटर्न पर आयकर देय है ।
8. अपने निवेश का नामांकन जरूर करें तथा नॉमिनी को भी बताएं।
9. मनी सर्कुलेशन / मल्टी लेवल मार्केटिंग / पिरामिड संरचनाओं द्वारा जनता से पैसे स्वीकार करना प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के तहत एक संज्ञेय अपराध है । इसकी सूचना राज्य पुलिस को तुरंत दें।
10. अवास्तविक तथा आश्वासित रिटर्न के लालच में न फसें।
11. सस्ते ऋण और अवास्तविक रिटर्न की पेशकश के ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापनों का शिकार न बनें ।
12. अपंजीकृत / अनिगमित संस्थाओं में पैसे जमा न करें । वे जनता से जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं ।
13. किसी भी ऑनलाइन सर्वेक्षण / योजना का हिस्सा न बनें जो पैसे मांगे तथा उच्च रिटर्न का आश्वासन दे ।
14. किसी ऐसी योजना के सदस्य न बनें जो प्रारंभिक जमाराशि मांगती है तथा अधिक सदस्यों को लाने पर रिटर्न देती है, यह मल्टीलेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्ट्रक्चर्ड योजना हो सकती है । इस तरह की योजना कानून के तहत प्रतिबंधित है।
15. RBI, SEBI, NHB, IRDAI आदि के नाम पर किए गए कॉल / प्रस्ताव / मेल / फर्जी प्रस्तावों, बोनस, क्रेडिट / डेबिट / प्री-पेड कार्ड, ऋण, अधिक रिटर्न या लाभ की पेशकश से सावधान रहें। नियामक न तो बोनस घोषित करता है न ही वित्तीय या निवेश उत्पादों की बिक्री में शामिल होता है ।
16. सुझाव और अफवाहों के आधार पर निवेश न करें।

17. निवेश की सलाह को बिना समझे मत मानें ।

18. निवेश पर अपने वित्तीय सलाहकार के सुझावों से आश्वस्त नहीं होने पर ऐसा निवेश न करें ।

19. निवेश अपनी जोखिम की सहिष्णुता के अनुसार ही करें ।

20. जनता द्वारा जमा स्वीकृतियों तथा अन्य वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें 'सचेत' पोर्टल www.sachet.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती हैं ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1. सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं ।

2. नियमानुसार, जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) जमा पर 12.5% से अधिक ब्याज नहीं दे सकती है। ब्याज मासिक अंतराल से कम पर चक्रवृद्धि नहीं हो सकता । जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_NBFCList.aspx पर देखी जा सकती है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के द्वारा ली गयी जमा राशि की अदायगी की गारंटी नहीं देता है।

4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा ली गयी सार्वजनिक जमा राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) द्वारा बीमाकृत नहीं है।

5. दलालों / एजेंटों आदि की ओर से सार्वजनिक जमा राशि इकट्ठा करने के मामले में, जमाकर्ता स्वयं संतुष्ट करें कि दलाल/ एजेंट विधिवत एनबीएफसी द्वारा अधिकृत हैं।

6. आवेदन फार्म स्वयं भरें और खाली आवेदन पर हस्ताक्षर न करें।

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से राशि जमा करने की तिथि, जमाकर्ता का नाम, ब्याज की दर और परिपक्वता तिथि आदि की एक उचित रसीद प्राप्त करें ।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय में दर्ज की जा सकती है।

आवास वित्त कंपनियां

1. जमा राशि स्वीकार करने के लिए अधिकृत आवास वित्त कंपनियां (HFC) जमा राशि पर 12.5% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज नहीं दे सकती हैं । HFC द्वारा ली गयी जमा राशि बीमाकृत नहीं होती है ।

2. जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत आवास वित्त कंपनियों की सूची http://www.nhb.org.in/Regulation/RegisteredCompanies.php पर देखी जा सकती है ।

3. एचएफसी जमा राशि का 2% से अधिक ब्रोकरेज / कमीशन आदि का भुगतान नहीं कर सकती हैं।

4. एचएफसी दलालों / जमाकर्ताओं को उपहार आदि नहीं दे सकती हैं।

5. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) जमा या ब्याज की अदायगी की गारंटी नहीं देता है। यह एचएफसी की जिम्मेदारी है।

6. ग्राहक पंजीकृत एचएफसी के खिलाफ अपनी शिकायत नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर दर्ज कर सकते हैं: https://grids.nhbonline.org.in या निर्धारित प्रारूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए http://nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf का उपयोग कर सकते हैं।

बीमा पॉलिसी

1. केवल पंजीकृत बीमा कंपनियों अथवा निम्न अधिकृत माध्यमों से ही बीमा पॉलिसियां खरीदें

- लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट / कॉर्पोरेट एजेंट
- लाइसेंस प्राप्त बीमा दलाल और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)
- लाइसेंस प्राप्त वेब एग्रीगेटर्स
- बीमा मार्केटिंग फर्म्स

2. किसी भी भुगतान करने से पहले व्यक्ति और संस्था की सत्यता की पुष्टि करें और किसी भी व्यक्ति के नाम पर भुगतान न करें ।

3. **उपयुक्त बीमा पॉलिसी / उत्पाद निम्नलिखित आधार पर चुनें:**

- जीवन अवस्था, वित्तीय स्थिति और वित्तीय आवश्यकताएं
- पॉलिसी खरीदने का उद्देश्य
- बीमा राशि की पर्याप्तता के संदर्भ में लाभ की पेशकश

4. बीमा पॉलिसी खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें

- ध्यान से प्रॉस्पेक्टस और प्रस्ताव प्रपत्र पढ़ें
- प्रस्ताव प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पूरी तरह से विवरण भरें और कभी भी खाली प्रस्ताव प्रपत्र पर हस्ताक्षर न करें ।

5. जीवन बीमा पॉलिसी मुख्य रूप से जीवन के लिए जोखिम कवरेज प्रदान करता है। लेकिन यह लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध निवेश का एक साधन भी है । जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखें :

- ध्यान से पॉलिसी दस्तावेज पढ़ें।
- प्रीमियम भुगतान के तरीके, पॉलिसी की अवधि, परिपक्वता लाभ, लॉक-इन अवधि, नॉमिनी का विवरण, अभ्यर्पण मूल्य (सरेन्डर राशि) आदि के बारें में जानें ।
- सुनिश्चित करें कि नीति दस्तावेज तथा बिक्री प्रोस्पेक्टस में दिए गए नियमों और शर्तों में कोई अंतर नहीं है।
- यदि आप नियम और शर्तों से असहमत हो तो, पॉलिसी को 15 दिनों के भीतर आपत्तियाँ बताते हुए बीमा कंपनी को लौटा दें। आप आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, चिकित्सा जांच के लिए बीमा कंपनी द्वारा किए गए खर्च तथा स्टांप खर्च को घटाने के बाद प्रीमियम भुगतान की वापसी के हकदार हैं।
- प्रीमियम नियमित रूप से और तुरंत भुगतान करें और पॉलिसी लेप्स न होने दें ।
- प्रीमियम का भुगतान समय पर तथा बिना ब्रेक के करें जिससे पूरा बीमा कवर और अन्य लाभों के साथ बीमा पॉलिसी का अधिकतम लाभ मिले ।
- बीमा पॉलिसी और इसके लाभ के बारे में परिवार के सदस्यों को अवश्य सूचित करें, विशेष रूप से नामित व्यक्ति को ।

6. यदि कोई बिना लाइसेंस के मध्यस्थ या अपंजीकृत बीमा कंपनी बीमा करे तो FIR दर्ज कराएं तथा IRDAI को सूचित करें । इस तरह के बिना लाइसेंस के मध्यस्थ या अपंजीकृत बीमा कंपनी को किए गए भुगतान की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी ।

कंपनी सावधि जमा

1. जनता से मियादी जमा लेने से पहले कंपनी के लिए विज्ञापनों के माध्यम से अनुबद्ध खुलासे देना आवश्यक है।

2. कंपनियों द्वारा विज्ञापित फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करने से पहले कंपनी अधिनियम (Companies Act) की अनुपालना और कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) से प्राधिकरण सुनिश्चित करें ।

3. कंपनियां जनता से जमा आमंत्रित करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ विज्ञापन की प्रति प्रस्तुत करती हैं। ऐसी कंपनियों की सूची वेबसाइट http://www.mca.gov.in/पर उपलब्ध है।

4. कंपनियों के साथ सार्वजनिक जमा राशि बैंकों की तरह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) द्वारा बीमाकृत नहीं है।

5.जमाराशि पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बयाज से अधिक नहीं हो सकता है।

6. जमा की अवधि कम से कम 6 महीने या अधिक से अधिक 36 महीने होनी चाहिए।

7. फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करने से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग की जाँच करें।

8. कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी और उसके प्रमोटरों की विश्वसनीयता की जांच करें।

9. किसी भी शिकायत के मामले में निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 5 वीं मंजिल, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से संपर्क करें।

10. पीड़ित जमाकर्ता चेन्नई / दिल्ली / कोलकाता / मुंबई में कंपनी लॉ बोर्ड या जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान मंच को भी शिकायत कर सकते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

Design: Anupam Sharma